नागरिकता से संबंधित मसाइल

1- इस्लाम एक दीन है और मुसलमान एक उम्मत हैं। इस्लाम मुसलमानों को एक एकत्व से जोड़ता है और उनको एक शरीर व जान का दर्जा देता है। इस दृष्टि से इस्लाम का असल स्वभाव यह है कि मुसलमान चाहे वह दुनिया के किसी हिस्से में हो कलिमे की बुनियाद पर एक उम्मत हैं और उनके बीच किसी भेद भाव व फ़र्क़ की हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जा सकती और न किसी पक्षपात पूर्ण सुलूक की अनुमति दी जा सकती है।

2- अलबत्ता आधुनिक दौर में पश्चिम के प्रभाव से वर्त्तमान नागरिकता की व्यवस्था ने जो हद बन्दियां स्थापित की हैं और भूगौलिक बुनियादों पर इन्सानों में विभाजन किया गया है और हर देश के नागरिक को एक अलग क़ौम मान लिया जाता है अफ़सोस कि इसके ये प्रभाव मुस्लिम समुदाय पर भी पड़े हैं। विभिन्न देशों में रहने वाले मुसलमानों को क़ौम वाहिद (एक उम्मत) की बजाए विभिन्न क़ौमों में विभाजित कर दिया गया है और इन की यह स्वतंत्र नक़ल व हरकत और क़याम व आवास में मुश्किलें पैदा हो गयी हैं, मानों यह व्यवस्था इस्लाम के आफ़ाक़ी एकत्व के दृष्टि कोण से अनुकूल नहीं हैं लेकिन वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हालात और इलाक़ाई ज़रूरतों व कारणों के तहत देशों में नागरिकता की व्यवस्था प्रचलित है वर्त्तमान हालात में उसे स्वीकार करने की गुंजाइश है।

3- मुस्लिम या ग़ैर मुस्लिम देश का मुसलमान किसी मुस्लिम देश में नागरिक्ता का इच्छुक हो और उसके अपने देश में दीन व ईमान, जान व माल व इज़्ज़त को सख़्त ख़तरों का सामना हो तो मुस्लिम देश पर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

4- किसी देश के मुसलमान मजबूर होकर दूसरे मुस्लिम देश में शरण लेकर रहने लगें तो ऐसे देश का कर्तव्य है कि वह इन तमाम शरणार्थियों को तमाम नागरिक अधिकार प्रदान करे।

5- किसी मुसलमान के लिए ग़ैर मुस्लिम देश की नागरिकता अपना लेने की निम्न सूरतें हैं।

अः ऐसा ग़ैर मुस्लिम देश जहां दीन व ईमान, जान व माल और नस्ल की सुरक्षा को ख़तरा है वहां की नागरिकता लेना जायज़ नहीं है। अलबत्ता इस प्रकार के ख़तरे न हों तो जायज़ है।

बः किसी देश की ग़ैर इस्लामी संस्क्रती एवं सभ्यता से प्रभावित होकर वहां की नागरिकता हासिल करना जायज़ नहीं है।

जः मात्र जीवन स्तर बुलन्द करने के लिए मुस्लिम देश के किसी शहरी का ग़ैर मुस्लिम देश की नागरिकता अपनाना अप्रिय हैं

दः आर्थिक संकट, तिब्बी (चिकित्सा संबंधी) ज़रूरतों और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ग़ैर मुस्लिम देश की नागरिकता की प्राप्ती जायज़ हैं।

हः दावती (इस्लामी प्रचार) उद्देश्यों के लिए ग़ैर मुस्लिम देश की नागरिकता स्वीकार करना मुस्तहब है।

नोटः 23 वां फ़िक़्ही सेमिनार (जम्बोसर, गुजरात) दिनांक 28-29 रबीउस्सानी व एक जमादिल ऊ ला 1435 हि0 - 1-3 मार्च 2014 ई0